	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 23, बुधवार, *शाके* 1948- मई 13, 2026 Vaisakha 23, Wednesday, Saka 1948- May 13, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 14, 2025

संख्या प.9(103)राज-1/2025-28608:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, पाली एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **पाली की तहसील बाली** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	शेष मूल राजस्व ग्राम का विवरण	
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है.में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है.में)	जनसंख्या 2011		क्षेत्रफल (है.में)	जन संख्या 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**पाली / बाली**	ठंडीबेरी / बाली	**ठंडीबेरी** LG Code 91359	354.30	1386	**अणुआ** Anuaa	**207.34**	**741**	**1.5**	**146.96**	**645**
2		आमलिया /	**कागदडा** LG Code 91354	694.94	1294	**पारी डांग** Pari Dang	**88.14**	**383**	**1**	**606.8**	**911**

		बाली									
3		कोठार / बाली	**कोठार** LG Code 91343	2208.92	2959	**ग्वाला ढ़ाणी** Gwal aDhani	**63.6434**	**315**	**1.5**	**1977.6466**	**2248**
4						**पावटिया वाला** Pavtiya wala	**167.63**	**396**	**2.5**		
5		नाना / बाली	**नाना** LG Code 91355	3241.1781	10333	**कालागडा** Kalagada	**845.76**	**501**	**3**	**2395.4181**	**9832**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, पाली** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।